सरोगेसी और समाज

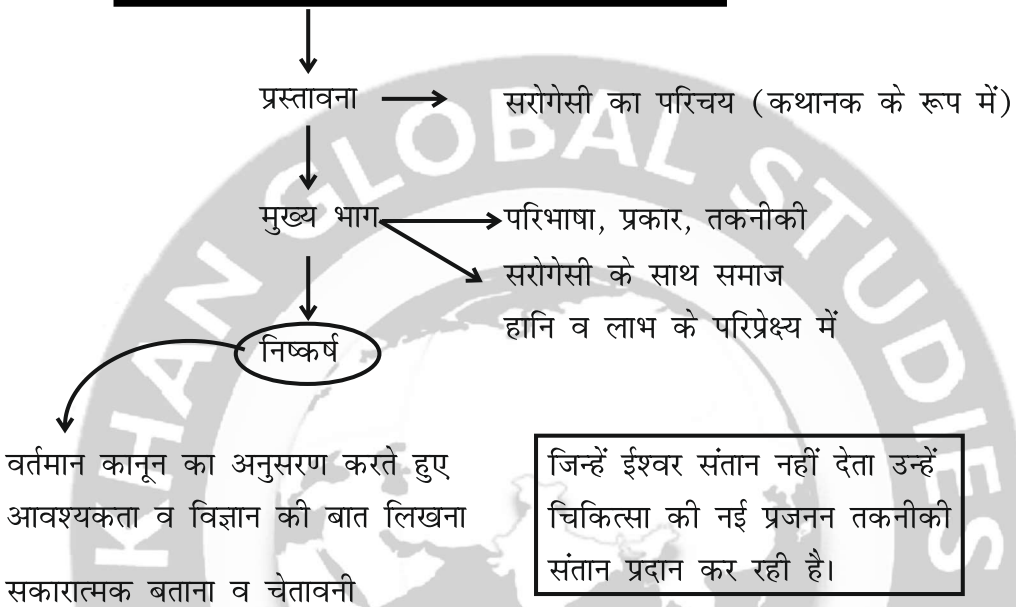

प्रस्तावना

- ''मतलब पेट आपका और बच्चा उनका''
  पिछले दिनों आई हिन्दी सिनेमा की फिल्म मिमी- का यह डायलॉग अत्यंत प्रसिद्ध हुआ था।
- जब आधुनिक प्रजनन तकनीकी सरोगेसी पर आधारित यह फिल्म प्रदर्शित हुई, वास्तव में फिल्में समाज का आइना होती है।
- रमेश और संगीता दम्पत्ति है (कथानक नाम) तथा विवाह के कई वर्षों तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई अत: उन्होंने आधुनिक प्रजनन तकनीकी के द्वारा पैरेंट बनने का विकल्प चुना है। वास्तव में उनके डॉक्टर के द्वारा आधुनिक प्रजनन तकनीकी का विचार दिया गया है जिसमें दम्पत्ति के बच्चे को किसी अन्य महिला के कोख/गर्भ में पाला जायेगा तथा निश्चित समय बाद बच्चे को जन्म के साथ ही उसे वास्तविक माता-पिता यानी रमेश व संगीता को दे दिया जायेगा।
- उपरोक्त कथानक ही सरोगेसी व्यवस्था को स्पष्ट करता है। वास्तव में सरोगेसी तकनीकी से अभिप्राय है, किसी और के कोख से अपने (मूल दम्पत्ति) बच्चे को जन्म देना। यदि कोई पति-पत्नी किसी चिकित्सीय (खासकर महिला के गर्भाशय में खराबी)। अन्य कारण वश स्वत: बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे है तो ऐसी स्थितियों में किसी अन्य महिला की कोख को सहमति अथवा किराए पर लेकर बच्चे को जन्म देना तथा बच्चे के जन्म के बाद उसे अपने साथ रख लेना यही व्यवस्था ही सरोगेसी कहलाती है।
  जिस महिला की कोख का उपयोग किया गया है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है।
- यदि थोड़ा विस्तार से सरोगेसी प्रक्रिया की समझें तो सरोगेसी प्रक्रिया बेहद सामान्य और प्रचलित व्यवस्था बन गई है। जिसमें शुरूआत रूप में IVF तकनीकी का उपयोग किया जाता है तथा मूल माता व पिता के शुक्राणु व अण्डाणु को लेकर प्रयोगशाला के अंदर ही निषेचन करवाया जाता है अर्थात् निषेचन की जो प्रक्रिया अन्त: संबंधों के दौरान प्राकृतिक रूप से होती है। वही प्रक्रिया अब प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप में करवायी जाता है। निषेचन के बाद भ्रूण को भ्रूण स्थनांतरण तकनीकी द्वारा उसे किसी अन्य महिला के गर्भ/कोख में स्थानांतरित किया जाता है तथा निश्चित समय के बाद जिस बच्चे का जन्म होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है तथा गर्भधारण करने वाली महिला यानी सरोगेट मदर अब बच्चे को स्वत: उसके मूल माता-पिता को सौंप देती है।

☛ इस प्रकार जब ईश्वर ने दंपत्ति को संतान नहीं दी तब चिकित्सा की इस नई प्रजनन तकनीकी ने उनके घरों में किलकारियों की गूंज पैदा की और इस तरह आज लाखों दम्पत्तियों की वंशबेल पनप रही है।

☛ इसमें दो राय नहीं कि संतानोत्पत्ति नई तकनीकी सरोगेसी के भारतीय परिदृश्य को बदलकर संतानहीनों का एक नया विकल्प प्रदान कर रही है। परन्तु एक सिक्के के सदैव दो पहलू होते हैं, सरोगेसी पद्धति में भी दो पहलू देखने को मिलते है अर्थात् यह दो प्रकार की होती है।

☛ पहली **व्यावसायिक सरोगेसी** और दूसरी **परोपकारी सरोगेसी**।

☛ **व्यावसायिक सरोगेसी**- की आशय सरोगेट मदर पैसे/मूल्य के आधार पर अपने गर्भ/कोख में बच्चे को नौ माह तक पालती है जबकि परोपकारी सरोगेसी का आशय जब कोई रिश्तेदार। सगी संबंधी महिला बिना मूल्य के अपने गर्भ में बच्चे को निश्चित समय तक पालती है और यही से सरोगेसी पद्धति के संगति व विसंगति के भाव भी उत्पन्न होते हैं।

☛ जहाँ **परोपकारी सरोगेसी** आज संगति/नीतिगत भावना को उद्धृत कर रही है वही विसंगतियों का केंद्र बिंदु व्यावसायिक सरोगेसी है।

☛ कुछ ऐसे उदाहरण जो भारत में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध की बात करते है जैसे-

- पेशेवर शुक्राणु डोनर, पेशेवर सरोगेट मदर की संख्या में वृद्धि
- जबरन सरोगेट मदर बनने पर मजबूर करना जिसके लिए कम उम्र तक की बच्चियों के अपहरण।
- सेलेब्स का शौकिया रूप में सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देना आदि। तकनीकी को बेवजह इस्तेमाल समाज में चलन
- विदेशी दम्पत्तियों का सरोगेसी की बाद बच्चों को न स्वीकारना, IVF बच्चों में गंभीर बीमारी आदि।
- गरीब महिलाओं का शोषण।
- मां व बच्चों के बीच भावनात्मक संबंध की कमी
- बच्चा कमोडिटी बना जाता हो।

सरोगेसी विनियमन विधेयक और कानून

☛ 21वीं सदी के प्रारंभ से ही भारत में व्यावसायिक सरोगेसी की शुरूआत हो गई थी, 2002 में व्यवसायिक सरोगेसी को वैधता भी मिल गई। अगली एक दशक में ही सस्ती व सरल सटीक सरोगेसी सुविधा के कारण भारत दुनिया भर में एक टूरिज्म का एक बड़ा केन्द्र बनकर उभर गया था और इसी के साथ विसंगतियों की अवधारणा भी उसी अनुपात में बढ़ती चली गई तथा पहली बार विधि आयोग की 288वीं रिपोर्ट में व्यापक रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी की विसंगतियों पर विडंबार चर्चा की गई तथा इसपर रोक लगाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ और सरोगेसी विनियमन विधेयक- 2016, 2019 (ड्रॉप सरोगेसी बिल), सरोगेसी रेगुलेशन बिल (2020) (2021) आदि आते गए।

☛ जनवरी 2022 में राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके प्रति अब कानून बन गया है। अर्थात् अब राष्ट्र में केवल परोपगारी सरोगेसी की ही अनुमति है।

अब नया नियम क्या है?

1. भारतीय मूल के विवाहित जोड़े- 23-50 वर्ष, महिला- 26-55 वर्ष पुरुष।
   भारतीय मूल की इच्छुक महिला (35-45 वर्ष) विधवा व तलाकशुदा सरोगेसी की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
2. इच्छुक दम्पत्ति एप्रोप्रियेट अथॉरिटी द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण/पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
3. दम्पत्ति का पहले से कोई जैविक जीवित बच्चा। गोद लिया बच्चा/सरोगेसी के माध्यम में उत्पन्न बच्चा नहीं होना चाहिए।
4. 25-35 वर्ष की विवाहित महिला ही। जिसे पहले में कम से कम एक बच्चा हो। जीवनकाल में केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है।
5. रजिस्टर्ड डॉक्टर से सरोगेट मदर के चिकित्सा/मनोवैज्ञानिक फिटनेस प्रमाण पत्र लेना आवश्यक।
6. एक सरोगेट मां के यूट्रस में एक एम्ब्रियों ही ट्रांसफर किया जायेगा। (विशेष परिस्थितियों में तीन संभव)
7. दम्पत्ति- सरोगेट मदर के लिए बीमा कंपनी से 36 माह की अवधि का जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवर खरीदेंगे।
8. दम्पत्ति- सरोगेसी प्रक्रिया के तहत- चिकित्सा खर्च। स्वास्थ्य मुद्दे, क्षति, बीमारी, सरोगेट मदर की मृत्यु के लिए मुआवजें हेतु अदालत को एक एफिडेविट देना होगा।
9. यूट्रस मिसिंग/एवनॉर्मल यूट्रस/गाइनेकोलॉजिकल कैंसर, जैसा मेडिकल कंडीशन/सर्जिकली यूट्रस निकाल दी गई ऐसी स्थिति भी सरोगेसी संभव।
10. केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल/विवाह 5 वर्ष हो चुका हो, होमोसेक्सुअल के लिए सेरोगेसी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
11. कार्शिपल सेरोगेसी पर अब 10 साल तक जेल और 10 लाख जुर्माना हो सकता है।
12. सरोगेसी में उत्पन्न का शोषण/डिसआर्वशिप आदि करने पर 10 लाख/10लाख जुर्माना।
13. सरोगेट मां यदि गर्भपात चाहती है तो चिकित्सीय समाप्ति की प्रेगेनेंसी एक्ट 1971 के पालन।

☛ इस प्रकार आधुनिक की यह नई चिकित्सा भारत के नए कानून के दायरे में आ गई है। जिससे वास्तविक आवश्यकता के दम्पत्त ही इसका लाभ उठा सकेंगे तथा सरोगेट मां के स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। क्योंकि भारत राष्ट्र नीतिगत मुद्दों के आभार पर ही विज्ञान की अवधारणा को आगे बढ़ाता है। इसीलिए व्यायवासिक सेरोगेसी कहीं-न-कहीं हमारे मूल्यों पर प्रहार साबित हो रही थी। जिससे न केवल आंतरिक विचौलियों को बल मिल रहा था बल्कि सरोगेट मां का भी शोषण हो रहा था। अत: अब नए कानून के साथ इन सभी विषंगतियों से बचा जा सकता है।